PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT **SHARE CERTIFICATE (S) NO** 25514 FOR 1500 **EQUITY SHARES** OF RS 2/- FACE VALUE EACH BEARING **DISTINCTIVE NO.** 3205846 TO 3206595 AND 90057506 TO 90058255 OF **DCM SHRIRAM LIMITED** REGISTERED IN THE NAME OF **ASHOK KAUL** HAVE BEEN **LOST** HAVE APPLIED TO THE COMPANY TO **ISSUE DUPLICATE CERTIFICATE(S).** ANY PERSON WHO HAS ANY CLAIM IN RESPECT OF THE SAID SHARES CERTIFICATE(S) SHOULD LODGE SUCH CLAIM WITH THE COMPANY AT ITS REGISTERED OFFICE 2ND FLOOR(WEST WING),WORLD MARK-1,AEROCITY,NEW DELHI-110037, WITHIN **15 DAYS** OF THE PUBLICATION OF THIS NOTICE; AFTER WHICH NO CLAIM WILL BE ENTERTAINED AND THE COMPANY WILL PROCEED TO ISSUE DUPLICATE SHARE CERIFICATE(S).

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार / प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में

और

केशव मेडीकेम प्राईवेट लिमिटेड

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : डाकस न–822, सेक्टर–15ए, फरीदाबाद, हरियाणा–1220101, इंडिया में स्थित है

.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "हरियाणा राज्य" से "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 01 नवम्बर, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : डाकस न–822, सेक्टर–15ए, फरीदाबाद, हरियाणा–1220101, इंडिया

कृते की ओर से
केशव मेडीकेम प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
अनुपम पांडे
निदेशक
(डीआईएन : 00605883)

तिथि : 28.11.2025
स्थान : फरीदाबाद

फॉर्म नं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

मैसर्स ग्रीनको अगर विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएनः U40300DL2011PTC274908, जिसका पंजीकृत कार्यालय 15वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110001 पर है, के मामले में,

...याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश" से "तेलंगाना राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए बुधवार, 28 नवंबर, 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

1. दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश" से "तेलंगाना राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति टउअ–21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के **कार्यालय के पतेः** क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, पताः बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, भारत में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

पंजीकृत कार्यालयः 15वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110001

बोर्ड के आदेश से
ग्रीनको अगर विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
प्रदीप कुमार कालितकर
निदेशक
डीआईएनः 10400973

दिनांकः 28.11.2025
स्थानः नई दिल्ली

फॉर्म नं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

मैसर्स ग्रीनको डीएनडी विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (**सीआईएनः U40106DL2010PTC275461**) जिसका पंजीकृत कार्यालय 15वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001 पर है, के मामले में,

...याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश"** से **"तेलंगाना राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए मंगलवार, 25 नवंबर, 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

1. दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश" से "तेलंगाना राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति **MCA-21** पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के कार्यालय के पतेः क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, पताः बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, भारत में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

पंजीकृत कार्यालयः 15वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली– 110001

बोर्ड के आदेश से
ग्रीनको डीएनडी विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
जेम्पाना वेंकट सत्यदुर्गाप्रसाद राजू
निदेशक
डीआईएनः 07465899

दिनांकः 28.11.2025
स्थानः नई दिल्ली

फॉर्म नं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

मैसर्स ग्रीनको बेरचा विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएनः U40102DL2012PTC274911) जिसका पंजीकृत कार्यालय 15वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001 पर है, के मामले में,

.....याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश"** से **"तेलंगाना राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए मंगलवार, 25 नवंबर, 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

1. दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश" से "तेलंगाना राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति **MCA-21** पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के कार्यालय के पतेः क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, पताः बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, भारत में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

पंजीकृत कार्यालयः 15वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली– 110001

बोर्ड के आदेश से
ग्रीनको बेरचा विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
जेम्पाना वेंकट सत्यदुर्गाप्रसाद राजू
निदेशक
डीआईएनः 07465899

दिनांकः 28.11.2025
स्थानः नई दिल्ली

फॉर्म नं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

मैसर्स ग्रीनको जैसलमेर विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएनः U40106DL2010PTC275458) जिसका पंजीकृत कार्यालय 15वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली– 110001 पर है, के मामले में,

.....याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश"** से **"तेलंगाना राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए मंगलवार, 25 नवंबर, 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

1."दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश" से "तेलंगाना राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति टउअ–21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के कार्यालय के पतेः क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, पताः बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, भारत में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

पंजीकृत कार्यालयः 15वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001

बोर्ड के आदेश से
ग्रीनको जैसलमेर विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
रामा गोपाल थोता
निदेशक
डीआईएनः 07150648

दिनांकः 28.11.2025
स्थानः नई दिल्ली

फॉर्म नं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

मैसर्स ग्रीनको मामतखेड़ा विंड प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएनः U40104DL2010PTC275594) जिसका पंजीकृत कार्यालय 15वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली– 110001 पर है, के मामले में,

...याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश" से "तेलंगाना राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए मंगलवार, 25 नवंबर, 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

1." दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश" से "तेलंगाना राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के कार्यालय के पतेः क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, पताः बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, भारत में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

पंजीकृत कार्यालयः 15वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18–20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001

बोर्ड के आदेश से
ग्रीनको मामतखेड़ा विंड प्राइवेट लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
रामा गोपाल थोता
निदेशक
डीआईएनः 07150648

दिनांकः 28.11.2025
स्थानः नई दिल्ली

कब्जा सूचना

जैसाकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता को मांग सूचना जारी कर उधारकताओं को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना में उल्लिखित लागू दरों पर ब्याज सहित उनके संबंधित नामों के सामने उल्लिखित राशि तथा भुगतान और/या वसूली की तारीख तक बकाया भविष्य के लागू ब्याज, आकस्मिक खर्चों, लागतों, शुल्कों आदि के भुगतान का निर्देश दिया था।

क्रम सं.	ऋण सं.	उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13 (2) सूचना दिनांक/बकाया देय राशि (रु. में) निम्न तारीख को	कब्जे की तारीख/समय और प्रकार
1.	30809420004060	1) श्री देव करण (आवेदक), 2) श्री अजय (सह–आवेदक)	18.09.2025 रु. 15,49,976/– (केवल पंद्रह लाख उन्चास हजार नौ सौ छिहत्तर रुपये) 16.09.2025 तक।	दिनांकः 25.11.2025 समयः 02:01 अप. प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः खसरा सं. 3093 मिन में से 50 वर्ग गज यानी 41.806 वर्ग मी. की संपत्ति, जो ग्राम शाहपुर भामहेता, परगना दासना, तहसील और जिला गाज़ियाबाद में स्थित है। मालिकः श्री देव करण, पुत्र राम सरन। चौहद्दीः पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः 18 फुट चौड़ा रास्ता, उत्तरः राम करण का मकान, दक्षिणः 20 फुट चौड़ा रास्ता।		
2	47939420001407	1) श्री अमित बंसल (आवेदक), 2) श्रीमती पूनम (सह–आवेदक)	09.09.2025 रु. 22,81,677/– (केवल बाईस लाख इक्यासी हजार छह सौ सतहत्तर रुपये) 07.09.2025 तक	दिनांकः 22.11.2025 समयः 12:40 अप. प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग जिसका प्लॉट नं. 254पर मकान, क्षेत्रफल 150 वर्ग गज यानी 125.41 वर्ग मी., खसरा सं. 459, जिसका कवर्ड एरिया 70 वर्ग गज है, जो ग्राम अग्रौला, शिव मॉदर के पास, परगना और तहसील लोनी, जिला गाज़ियाबाद में स्थित है; मालिकः श्री अमित बंसल, पुत्र इंद्र पाल; चौहद्दीः पूर्वः राजू का मकान, पश्चिमः आयुष का मकान, उत्तरः अन्य का मकान, दक्षिणः 10 फुट की सड़क।		

जैसाकि ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने ऊपर उल्लिखित तिथियों पर, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊपर वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं/सह–उधारकताओं/गारंटर/गिरवीदारों और सामान्य रूप से जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों के साथ कोई व्यसाय न करें और उक्त संपत्तियों/परिसुरक्षित संपत्तियों के साथ कोई भी व्यसाय जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 28–11–2025

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के पास, चल्लाघट्टा, बेंगलुरु–560071,**शाखा कार्यालयः** 16/12, 2री मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालयः 502, टॉवर–ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई– 400013,
परिमंडल कार्यालय : कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 9वीं, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली– 110060

परिशिष्ट IV अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को मांग सूचना(एं) निर्गत की थी, जिसमें सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्न अंकितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु सीजीएचएफएल के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि	अधिग्रहण की तिथि
1.	(ऋण खाता संख्या LNHLNO10000090475 (पुराना) 50300000832913 (नया) हमारी नोएडा शाखा की) बालकराम बी द्वारा मैसर्स करहाना एंटरप्राइजेज (ऋणकर्ता) श्रीमती सीमा देवी, श्री अजीत ए (सह–ऋणकर्ता)	आवासीय मकान सं. बी–41–सी के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज अर्थात् 167.22 वर्ग मीटर है, जो आवासीय कॉलोनी राम विहार, ग्राम लोनी (चकबंदी क्षेत्र), परगना एवं तहसील लोनी, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201102 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– राजू का भूखंड, पश्चिम– इंदरपाल का मकान, उत्तर– रास्ता 40 फुट चौड़ा, दक्षिण– रास्ता 10 फुट चौड़ा।	06–सितं–2025 रु. 32,78,428/–	24–11–2025

स्थान : गाजियाबाद
दिनाँक : 28–11–2025

हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)
कृते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल)

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात ''अधिनियम'') के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल–एचएफएल) कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज–IV, गुरुग्राम–122015, (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालयः– 30/30ई, **अपर ग्राउंड फ्लोर, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली – 110015, प्रथम तल, प्रशांत विहार (रोहिणी सेक्टर–14), नई दिल्ली**–110085 के पास बंधक अचल सम्पति की बिक्री। जैसा कि आईआईएफएल–एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी (''एओ'') ने आईआईएफएल–एचएफएल के बकायों की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्ट सं. में यहाँ नीचे उल्लिखित सम्पत्ति का **''जहाँ है जैसे है, जो है यही है तथा आश्रय रहित''** आधार पर बिक्री करने के अधिकार सहित कब्जा कर लिया था। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://www.iiflonehome.com पर प्रावधानित ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
श्री संजय कुमार श्रीमती रीना तंवर (प्रोस्पेक्टर नं– 979306,966110)	12/05/2023 रु. 2687335.00 (रुपए छब्बीस लाख सत्ताशी हजार तीन सौ पैंतीस मात्र) **बोली वृद्धि राशि** रु. 40000.00/– (रुपये चालीस हजार मात्र)	संपत्ति के समस्त भागः फ्लैट नंबर डी–2, डी–3, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर ई–24/3, खसरा नंबर 250, क्षेत्रफल 1125 वर्ग फुट, सिद्धार्थ नगर, ग्राम किलोकरी, हरि नगर आश्रम, दक्षिणी दिल्ली, 110014, दिल्ली, भारत	08/11/2025 दिनांक 07/11/2025 तक कुल बकाया रु. 2615910.00/– (रुपए छब्बीस लाख पन्द्रह हजार नौ सौ दस मात्र)	रु.4815000.0/– (रुपए अड़तालीस लाख पंद्रह हजार मात्र) **जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.)** रु.481500.00/– (रुपए चार लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र)
श्री धीरज चावला, श्री महेश चावला, श्री महेश चावला, श्रीमती कमलेश चावला, (प्रोस्पेक्टर नं–930596)	15/04/2025 रु. 1911081.00 (रुपए उन्नीस लाख ग्यारह हजार और इक्यासी मात्र) **बोली वृद्धि राशि** रु. 25000.00/– (रुपए पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का समस्त भागः दूसरी मंजिल पर निर्मित भाग (आरएचएस भाग) (छत/टेरेस के अधिकार के बिना), प्राइवेट नंबर सी–2, आम प्रवेश द्वार, मार्ग, मुख्य सीढ़ी और कॉमन स्टिल्ट/पार्किंग सुविधा (कॉमन स्टिल्ट एरिया निचले भूतल के भाग में दोपहिया वाहनों के लिए), भूमि के साथ निर्मित संपत्ति का हिस्सा प्राइवेट प्लॉट नं. 7, खसरा संख्या 816 मिन में सम्मिलित, विस्तारित लाल डोरा, ग्राम बुराड़ी, दिल्ली, 110084 क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्र, कार्पेट क्षेत्र संपत्ति क्षेत्रः 414.00,351.00	16/10/2025 दिनांक 07/11/2025 तक कुल बकाया रु. 2115704.00/– (रुपए इक्कीस लाख पन्द्रह हजार सात सौ चार मात्र)	रु.1320000.0/– (रुपए तेरह लाख बीस हजार मात्र) **जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.)** रु.132000.00/– (रुपये एक लाख बत्तीस हजार मात्र)

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी की अन्तिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि/समय
26.12.2025, 11:00 बजे –1400 बजे	29.12.2025 को 5 बजे अप. तक	31.12.2025, 11:00 बजे–13:00 बजे

भुगतान का माध्यम : ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में किये जाने हैं। भुगतान करने के लिए आपके https://www.iiflonehome.com पर जाना होगी और केवल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस